

अति. निजा कलक्टर, पाली

वर्कलय उपस्थित।
उभयपक्ष को सूना गया। वकील रेसॉडेन्ट ने अपीलान्ट को
प्रमिटिड का विधिक वारिडा हेना स्वीकार किया तथा अपील स्वीकार
करने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं हेना जाहिर किया। इस
प्रकार उभयपक्ष आपसी सहमति से अपील का निस्तारण करवाने हेतु
सहमत है। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अपीलान्ट हेतु
प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा माम रजवाष के
नामान्तरकरण संख्या 235 पर तहसीलदार मरवाड जंखन हेतु
प्रस्तुत स्वीकृति आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण हेतु न निर्देशों के
साथ तहसीलदार मरवाड जंखन को प्रतियुक्ति किया जाता है वे
पक्षकारान को समुचित सूचना हेतु का अवसर देते हेतु प्रमिटिड के
विधिक वारिडान की जाव कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे।
निर्णय की सत्य प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया
जावे। बाव पालना पत्रावली कुसल में सुमार हेकर नम्बर से कम
है।

26.03.2018

अति. निजा कलक्टर, पाली

अति. निजा कलक्टर, पाली
आदेश संख्या 02/2018
आदेश संख्या 02/2018

अति. निजा कलक्टर, पाली
आदेश संख्या 02/2018
आदेश संख्या 02/2018

अति. निजा कलक्टर, पाली
आदेश संख्या 02/2018
आदेश संख्या 02/2018

अति. निजा कलक्टर, पाली
आदेश संख्या 02/2018
आदेश संख्या 02/2018